in jobs. It is a constitutional device for equal distribution of political power among the oppressed classes. The Central Government should take notice of this state of affairs and ensure necessary action to check misinterpretation of the Creamy Layer and the destruction of the spirit of reservation. The Government should come forward to include reservation of Kerala in the 9lh Schedule of the Constitution and thereby protect the spirit of equity and social justice.

SHRI P. N. SIVA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with what he has said. This problem exists in almost all the States.

Re. Demand for a resolution from the Chair on the demise of Shri Nijalingappa

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE (Karnataka): Sir, I may be pardoned that I am raising this point at this juncture. This is about the demise of Shri Nijalingappa. I expected that the Chair would move a resolution. He was a Member of the Constituent Assembly.

MR. CHAIRMAN : We will consider it and bring the Obituary Reference tomorrow.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka) : May I submit, Sir, that now this goes on record and tomorrow it will come in the newspapers? I would suggest that even now it is not too late. It can be done today. *Untamjptiorvi)*

MR. CHAIRMAN: All right, it may be done today. As a matter of •fact, I thought it had been done yesterday.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you yourself had gone there. Actually, it was the fault of some of us also.

MR. CHAIRMAN: We will take up the Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 2000. Mr. Home Minister, please.

Re. The Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 2000

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश)**:** श्रीमन**,** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति: किस बात पर ?

श्री रमा शंकर कौशिक: आप माननीय गृह मंत्री जी को इजाजत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को विचारार्थ रखने के लिए ।

श्री सभापति: वह मूव करेंगे न ।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, मेरी आपत्ति उनके मूव करने पर ही है ।

MR CHAIRMAN : This has already been introduced.

श्री रमा शंकर कौशिक: इंट्रोडक्शन का प्रश्न नहीं है । यह तो कांस्टीट्युशनल प्वाइंट है, यह तो जब भी पकड़ा जाएगा पास होकर एक्ट बन जाएगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा । श्रीमन्, जो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक माननीय गृह मंत्री जी रखना चाहते हैं उसमें इन्होंने जो संविधान ने इसकी अहर्ताएं दी हैं, जो संविधान ने इस पर शर्त लगाई हैं, जो संविधान ने अपेक्षाएं की हैं, उन अपेक्षाओं को माननीय मंत्री जी ने पूरा नहीं किया है । आप कृपया संविधान के आर्टिकल 3 को अवलोकित करें।

MR.CHAIRMAN : It has already been introduced and passed by the Lok Sabha.

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, इसका कोई प्रश्न नहीं है । यह तो कांस्टीट्युशनल मामला है । जब भी मामला आएगा, एक्ट हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ।

MR.CHAIRMAN : All right. You say whatever you want to say. The Home Minister will reply.

श्री रमा शंकर कौशिक: मेरा निवेदन यह है कि आर्टिकल 3 में साफ लिखा हुआ है ।

3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन संसद, विधि द्वारा

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी''

श्रीमन्, और भी उसमें प्वाइंट दिये हैं । लेकिन 1955 में इन सारे अधिकारों पर जो संसद् को प्राप्त हैं विधि द्वारा, इसको करने का परंतुक लगा 1955 में ।

जो पांचवा संशोधन था और उस परंतुक में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधि द्वारा संसद इसको कर तो सकती है लेकिन वैसा विधेयक संबंधित राज्य के विधान मंडल को विचारार्थ भेजा जाएगा । इन्होंने विचारार्थ भेजा जरूर है लेकिन श्रीमन् मेरा कहना यह है कि इन्होंने जो विचारार्थ भेजा था यह वह विधेयक नहीं है ।

आप श्रीमन् इस विधेयक की धारा तीन को देखिए । उस विधेयक की धारा तीन में इन्होंने हरिद्वार जिले को शामिल किया है । लेकिन श्रीमन् मेरा कहना यह है, अब माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल को विचारार्थ भेजा जो एक आवश्यकता थी – जो इसकी शर्त है – लेकिन इन्होंने जो उसमें लिखा है वह लिखा है ''हरिद्वार शहर प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र''। ''हरिद्वार शहर'' और यहां पर यह लिखा है इस विधेयक में - ''हरिद्वार जिला''। तो श्रीमन्, हमारा संविधान जो कहता है और संविधान ने जो व्यवस्था की है जो

शर्त है जो अहर्ता रखी है उसका पालन नहीं किया गया है । श्रीमन्, मैं यहां पर यह नहीं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विधान मंडल ने इसको पारित किया या नहीं किया । वह आवश्यक भी नहीं है । वे इस पर अपनी विपरीत राय भेज सकते हैं । लेकिन यह शर्त जरूर है कि जिस प्रकार का भी विधेयक हो राज्य पुनर्गठन के संबंध में, जो भी सीमाएं हों उन सीमाओं को लेकर उस राज्य के विधान मंडल में रखा जाना चाहिए । वह इन्होंने नहीं किया है । श्रीमन्, हरिद्वार जिले की सीमाएं अलग हैं । रुड़की भी उसमें है, पिराल कलियार है । लेकिन हरिद्वार शहर की सीमाएं अलग हैं । इसलिए सीमाओं के परिवर्तन के मामले में जो भी प्रस्ताव इनको यहां लाना था वैसा ही प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में इनको रखना चाहिए था । वह इन्होंने नहीं रखा है । माननीय मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि इन्होंने जो रखा है उसमें केवल यह लिखा है ''हरिद्वार शहर, प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्र''।

श्रीमन्, यह तो हुई संवैधानिक मर्यादा । एक मर्यादा की ओर मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उन्होंने कल बड़ी अच्छी बात कही कि संविधान की मर्योदाओं को तो हमने माना है लेकिन हमने अपने ऊपर भी कुछ मर्यादा लगायी है और उस मर्यादा में उन्होंने एक मर्यादा यह भी बतायी थी कि जिस क्षेत्र में हम राज्य का गठन कर रहे हैं उस क्षत्र की जनता की इच्छाओं को हम जानें । ऊधमसिंह नगर की इच्छाओं को जानने के लिए इन्होंने तीन मूर्ति कमेटी भी बनायी थी...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka) : Sir, he is raising a point of order. We can understand it. But he is going into the details of the issue. He can raise these issues at the time of the discussion on the Bill.

श्री रमा शंकर कौशिक: वह भी मर्यादा का प्रश्न है....(**व्यवधान**)...

श्री एस. वेंकैया नायडू: वह तो अलग बात है....(**व्यवधान**)...

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश)**:** सदन का उनको समर्थन प्राप्त है । वे अलग नहीं हैं । बहुत से लोग इनके साथ हैं ....(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल)**:** यह क्या है.....(**व्यवधान**)..... इनको आपने आइडेंटीफाई किया है?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: ऊधमसिंह नगर के लोगों की राय है कि .....(**व्यवधान**).....

श्री एम वेंकैया नायडू: आपको भी आइडेंटीफाई नहीं किया है.....(**व्यवधान**).....

श्री सभापति: ये तो बोल लें.....(**व्यवधान**).....

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, ये बीच में क्यों टोकते हैं.....(**व्यवधान**).....

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: A point of order can be brought to the notice of the Chair, and through the Chair, to the House. I have no objection. He has raised it relevantly. But he is going into the details of the

issue. I am requesting the Chair to make him confine to his objection *prima facie* to the consideration of the Bill. That is the issue. I am not coming in his way. I am not arguing for or against the inclusion of Udham Singh Nagar. *...interruptions)...* As a Member, I have a right to express my views. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: The Chair has identified him; therefore, he has the protection of the Chair.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You need not interpret it. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: No other Member can arrogate to himseiP the power of the Chair.

श्री रमा शंकर कौशिक: वही तो मैं बात रख रहा हूं**.....(व्यवधान)**..... मेरिट में नहीं जा रहा हूं**.....(व्यवधान)**..... हां, तो मैं बता रहा हूं**.....(व्यवधान)**.....

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: देखिए, ऊधमसिंह नगर**.....(व्यवधान)**.....

श्री सभापति: पहले उनको तो बोलने दिजिए । आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं **.....(व्यवधान)**..... आप ही उनको नहीं बोलने दे रहे हैं । उनको तो बोलने दीजिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, यह तो बिल्कुल संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन है । संविधान की धाराओं का उल्लंघन है । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

मैं एक और दूसरी मर्यादा की बात जो माननीय गृह मंत्री जी ने बतायी और हमको बहुत अच्छी लगी, सबको ही बहुत अच्छी लगी, वह बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ऊपर भी कुछ मर्यादाएं रखी हैं । उन मर्यादाओं में एक मर्यादा यह है कि जिस क्षेत्र में राज्य बनाया जा रहा हो उस क्षेत्र की जनता भी वह चाहती हो । तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस मर्यादा का भी पालन नहीं हो रहा है और कांस्टीट्युशन की मर्यादा का भी पालन नहीं हो रहा है । उन मर्यादाओं का पालन करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने एक तीन मूर्ति कमेटी तो जरूर बनायी थी जिसमें जार्ज फर्नान्डीज, बादल साहब और राम प्रकाश जी थे । लेकिन वह चंद घंटों में अपना काम खत्म करके आ गई और उसने यह भी नहीं देखा कि ऊधम सिंह नगर की 80 फीसदी ग्राम सभाएं उस राज्य में जाने के लिए राज़ी नहीं हैं । श्रीमन्, इन दोनों मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है । ऐसी स्थिति में, यह विधेयक प्रस्तुत करते हुए, संविधान की जो मर्यादा है और संविदान की जो अहर्ताएं हैं, उनको पूरा नहीं करता है । इसलिए श्रीमन्, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाए । **.....(व्यवधान)**.....

श्री सभापति: नहीं-नहीं, वह बात तो खत्म हो गई । इंट्रोड्यूस हो चुका । वह सिचुएशन, स्टेज गुजर गई । अब ऑनरेबल मिनिस्टर । **.....(व्यवधान)**.....

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, वह कैसे गुजर गई?**.....(व्यवधान)**..... श्रीमन्, यह बिल पटल पर रखा गया था, पुरःस्थापित नहीं हुआ था ।**.....(व्यवधान)**.....

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर (पंजाब)**:** सर, मेरा प्वाइंट् ऑफ् ऑर्डर है ।**.....(व्यवधान).....**

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, यह पटल पर रखा गया था**.....(व्यवधान).....**

श्री सभापति: देखिए, मैंने जो रूलिंग देनी थी वह मैं दे चुका हूं । बार-बार बहस नहीं हो सकती । आपकी और मेरी बार-बार बहस नहीं हो सकती ।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, मैं बहस नहीं कर रहा हूं ।**.....(व्यवधान).....**

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर (पंजाब)**:** सर, इकट्ठी ही बहस कर लेंगे ।**.....(व्यवधान).....**

श्री सभापति: ऑर्गू करना ही नहीं है ।**.....(व्यवधान).....**

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः सर, आर्गू की तो कोई बात ही नहीं है ।**.....(व्यवधान).....**

श्री सभापति: हां । आनरेबल मिनिस्टर ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI LK. ADVANI): Sir, the hon. Member has invoked Article 3, which is a unique article in the whole Constitution, because for all practical purposes, when we undertake any legislation under this article, we are amending the Constitution, and, yet, the Constitution makers have provided that any action under this will not be deemed to be an amendment of the Constitution and, so, will not need even a special majority. In this particular case, if a Bill is to be introduced, even before introduction, the President will refer it to the assembly for its opinion. He will then permit the Government to introduce the Bill. I was permitted to introduce the Bill in that House. At that stage, all these objections were raised, saying that this has not been done, that has not been done. The Bill has already been passed by the Lok Sabha. The Bill, as passed by the Lok Sabha, has been sent to the Rajya Sabha for its consideration. At this point of time, Parliament is completely in authority of the Bill. Now, it is for the Parliament to decide how to dispose of the Bill, as passed by the other House. That is all I have to submit. I am not going into either the Udham Singh Nagar or the Haridwar. This can be raised at the time of discussion, when the Bill is moved for consideration.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: सर, इसमें यह हुआ है कि यह सदन गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है । माननीय गृह मंत्री जी ने जब यह बिल तैयार किया और**.....(व्यवधान).....**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उस समय उसकी बात करूंगा, लेकिन इस समय कोई प्वायंट् ऑफ् ऑर्डर नहीं ।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: There is no point of order.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: उन आकांक्षाओं को रद्द करके इस बिल को लाया गया है । हम आपके जरिए गुजारिश करते हैं कि यह बिल लाने से पहले इस हाउस की तरफ से सलैक्ट कमेटी को भेजा जाए ।...(**व्यवधान**)...

यह बिल इस हाउस में...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वह भी आपने लोटिस नहीं दिया है ।

श्री सभापति: देखिए, आपने अमेंडमेंट दी हुई है । आप अमेंडमेंट मूव करेंगे या नहीं करेंगे ।...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: रामूवालिया जी, वह तो कम से कम नोटिस आप दे सकते थे ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: नोटिस किया है ।

श्री सभापति: देखिए, जब वह स्टेज आएगी, तब मैं अमेंडमेंट मूव करने के लिए आपको कहूंगा ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: हमें खतरा यह है कि इनके पास मैजोरिटी है । इससे ऊधम सिंह नगर के लोगों के साथ एक धोखा हो जाएगा । आखिर हर चीज़ मैजोरिटी से नहीं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ उम्मीदें, कुछ गणतंत्र, कुछ लोकशक्ति, लोगों की अपील, वह तो इस हाउस को सुननी चाहिए । ऊधम सिंह नगर के 93 प्रतिशत लोग जाना नहीं चाहते, 327 में से 305 पंचायतों ने लिख कर दिया है ।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपकी अमेंडमेंट जब आएगी, तब आप बोलिएगा ।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः प्वायंट् ऑफ् ऑर्डर, गृह मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: कोई प्वायंट ऑफ् ऑर्डर है ही नहीं ।...(**व्यवधान**)...

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: सर, आप मुझे बोल तो लेने दीजिए । बाद में कह देना जो कहना है । आप मुझे सुन तो लीजिए । मैं अलहदा बात करना चाहता हूं । मेरी बात अलग है । ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, There is only point for clarification.

... *(Interruptions)...* Sir, what the hon. Minister is saying is that the Bill was introduced in and passed by, the Lok Sabha. On the basis of the Message that we have received, now we are going to discuss this Bill. But the Constitutional point remains that the Bill which is being sought to be legislated by the Government is not the same which was sent to the Assembly. Now, the point is this.This Constitutional point remains, irrespective of the fact that it has passed through the process in the other

House. Therefore, to say that since it has been processed by the Lok Sabha and has come to this House, Constitutional point becomes redundant, is bit difficult for us to accept ...*(Interruptions)*... I request the hon. Home Minister to clarify...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: No, no ... *interruptions)*... Do you want to move your amendment?...*(Interruptions)*... You can speak at the time of moving your amendment..... *(Interruptions)*...

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः सर, मेरी बात सुन लीजिए...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: जब आपके अमेंडमेंट्स आएंगे, तब बोलिएगा। NOW the Minister will move.

प्रो0 रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप को भी अमेंडमेंट्स मूव करने हैं...

प्रो0 रामगोपाल यादवः सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में जब संसद एक सदनात्मक हुआ करती थी, वह दो सदनात्मक इसलिए बनाई गई कि अगर एक सदन जल्दबाजी में कोई गलती कर दे तो दूसरा सदन उस को अमेंड कर सके। इस का मतलब यह नहीं कि अगर लोक सभा ने कोई गलती की है तो उसे मान लिया जाए। यह बिल्कुल संविधान के विपरीत चीज है, क्लिअर संविधान की धारा 3 के खिलाफ बात है। तो क्या राज्य सभा उस पर सोच नहीं सकती, विचार नहीं कर सकती?

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः चेयरमेन साहब, मैं थोड़ी सी अलग बात करना चाहता था। मेरी बात यह है कि यह हाउस हिंदुस्तान का सब से पवित्र और उत्तम-हाउस है और यहां हिंदुस्तान के विधान और मर्यादा की बात हो रही है। इंग्लैंड में तो मर्यादा के मुताबिक सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारे सिस्टम में जहां विधान है, साथ में मर्यादाएं भी हैं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप ने जो मर्यादा की बात कही है, अगर हम उस में उत्तरांचल के लोगों की इच्छा की बात कर रहे हैं तो हमें ऊधम सिंह नगर लोगों की इच्छा भी जान लेनी चाहिए मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूं श्री उधम सिंह नगर के लोग जो देश के सब से बहादुर लोग हैं – जहां एक्स आर्मी पर्सनल्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, जिन लोगों ने देश के जंगल को आबाद किया है, अनाज पैदा कर के देश का पेट भरा, अगर आप उन लोगों की बात जान लेंगे तो ठीक रहेगा। यह बिल अगले सेशन से पहले आ सकता है। हम उत्तरांचल का विरोध नहीं करते, छत्तीसगढ़ बने और दस बनें, लेकिन जैसे उन की आशा है, वैसे उन लोगों की भी आशा है। जैसे पोर्टब्लेयर में जहां हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स रहते हैं, ऊधम सिंह नगर में भी करीब 3 लाख फौजी परिवार हैं, 2-3 लाख के करीब फ्रीडम फाइटर्स हैं, 7-8 लाख बांग्लादेशी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आए शरणार्थी हैं। इसलिए ऑनरेबल चेयरमेन साहब, मैं आप के जरिए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि मर्यादा यह कहती है कि दूसरे लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए ताकि जहां दूसरे लोग खुश हों तो उन लोगों को भी खुशी हो और ताकि देश का बच्चा-बच्चा खुश रहे क्योंकि अगर एक आदमी भी कोई ट्रबल क्रिएट करता है तो देश को प्रोब्लम आ जाती है। मैं इतनी ही बात आप के जरिए कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा (पंजाब): चैयरमेन साहब, जैसे कि मेरे से पहले कहा गया कि जब नए राज्य बनते हैं तो लोगों की इच्छा का ध्यान इस बात के लिए रखा जाता है कि वहां के बहुत लोग चाहते हैं कि उन का राज्य बने क्योंकि उन की अपनी सभ्यता है, अपनी भाषा है और इलाका भी ऊंचाई का है । जैसे यह उत्तरांचल बन रहा है, इस से जाहिर है कि पहाड़ी राज्य बन रहा है और इस की भाषा भी पहाड़ी है भले ही उस की लिपि हिंदी हो, लेकिन उन की अपनी भाषा है, अपनी सभ्यता है । लेकिन जो एक इलाका पहाड़ी है, उन पहाड़ों को छोड़कर नीचे आ कर बाकी लोगों की इच्छाओं के उलट बात की जा रही है जिसकी कि हमारा विधान आज्ञा नहीं देता, क्योंकि विधान लोगों के लिए है, पॉलिटिशियनों के लिए नहीं है और पोलिटिशियन्स अपने मतलब के लिए इकट्ठे भी हो जोते हैं, लड़ते भी रहते हैं । हमारे खिलाफ यहां सब इकट्ठे हैं, दो-तीन पार्टियां हमारा साथ दे रही है, लेकिन मेजर पार्टी कांग्रेस और बी0जे0पी0, ये आल इंडिया पार्टियां हमारे खिलाफ खड़ी हुई हैं । वहां हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में प्रधान मंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे, रक्षा मंत्री जी थे, हमारे बादल साहब थे, बरनाला साहब थे और मैं था । जब इनके सामने वहां के लोगों की भावनाएं प्रकट की गईं, उनकी इच्छाएं बताई गईं तो इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि लोगों के ये जज्बात हैं । हमने कहा कि आप पता कर लीजिए, हमारे कहने की बात नहीं है, लोग नहीं जाना चाहते उसमें । जो-जो राज्य बने हैं उनमें तीन बातें रखी गई हैं – एक सभ्यता हो, बोली एक हो और इलाका ऊंचाई का और ढलाई का उसमें शामिल न हो । तो एक कमेटी बनी और उस कमेटी में आप जानते हैं कि वह जार्ज कमेटी के नाम से मशहूर हुई । आज कहते हैं कि कोई कमेटी ही नहीं बनी, इस बात के लिए वह बनाई ही नहीं गई थी, लेकिन दूसरे हाऊस में जार्ज साहब आए, उनको स्पेशल बुलाया गया ऐतराज करके कि आप आएं और बताएं कि कमेटी की क्या रिपोर्ट है । उन्होंने एकतरफा रिपोर्ट दे दी कि दोनों मुख्य मंत्री सहमत हैं और इसलिए मैंने कह दिया कि उधमसिंह नगर उधर जाए, लेकिन वास्तव में वह सच नहीं था और दूसरी प्रोसिडिंग भी यह बता रही है । पहली प्रोसिडिंग भी हमारे पास है, दूसरी प्रोसिडिंग भी हमारे पास है, दूसरी में कहा गया है कि दोनों मुख्य मंत्री सहमत तो हो नहीं सकते थे, इसलिए इसको उत्तरांचल में दे देना चाहिए । हम इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक इंसाफ मांगते चले आए हैं लेकिन हमें यहां इंसाफ नहीं मिल रहा । उधमसिंह नगर कोई देश से बाहर तो जाएगा नहीं । मेरा कहना है कि वह उनके साथ रहना चाहिए जिनके साथ उसकी भावनाएं मिलती हैं । लोगों की इच्छा की हमें कद्र करनी चाहिए । लोकराज लोगों के लिए है न कि हमारे पोलिटिशियंस के लिए । जहां भी हम देखते हैं पोलिटिशियंस हमारे ऊपर मार करता है और हमें आज भी मार पड़ रही है । पंजाब के हित कही भी देखने की कोशिश नहीं की जाती और उसने अनदेखी की जाती है इसलिए मैं चाहता हूं कि खुद गृह मंत्री जी ही इस बारे में दो अमेंडमेंट्स दे दें और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को – उधमसिंह नगर और हरिद्वार – बाहर रखकर उत्तरांचल बनाएं । हमें उत्तरांचल बनने की खुशी है, अतिखुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि गलत तौर से वह बन रहा है, गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN: Now the hon. Minister will move the motion.

THE UTTAR PRADESH REORGANISATION BILL, 2000

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): Mr. Chairman, Sir, I beg to move: